राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1293/2025

संदीप वेदवाल

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड, बौली, खण्ड बौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपखण्ड डीग (अनुभाग–द्वितीय) खण्ड डीग में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 सिद्धार्थ सिंह को पदस्थापित किया गया था। बाद में आदेश दिनांक 01.02.2025 (अनुलग्नक–1ए) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी सिद्धार्थ सिंह का पदस्थापन निरस्त किया गया एवं

अपलार्थी के स्थान पर आरिफा खानम निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के स्थान पर पहले आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को पदस्थापित किया गया था, बाद में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को उपखण्ड बौली से उपखण्ड डीग स्थानान्तरित किया गया है, जिस आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर जिस व्यक्ति को पदस्थापित किया गया था, बाद में उसके परिवर्तित होने के आधार पर भी अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)